महत्वपूर्ण एवं खास

आईटीआई खरसिया में एसटीसी प्रमाण-पत्र उपलब्ध

प्रशिक्षणार्थी कार्यलिय में प्राप्त कर सकते है प्रमाण-पत्र

रायगढ़। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरसिया, जिला रायगढ़ के प्रशिक्षण सत्र अगस्त 2018 से 2021 तक के व्यवसाय कोपा के प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी जो कि राज्य व्यवसायिक परीक्षा के सम्मिलित हुए थे। उनका एस.टी.सी. प्रमाण पत्र संस्था में उपलब्ध है। प्रशिक्षणार्थी जो संस्था में उक्त प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षणरत थे। वे संस्था आकर अपना एस.टी.सी. प्रमाण पत्र कार्यालय के प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य मंच में पद्मश्री सुरेन्द्र दुबे की हास्य व्यंग्य कविताओं से गुदगुदाएंगे आज

राजिम (आरएनएस)। राजिम कुंभ कल्प 2025 में 14 फरवरी को तीसरे दिन मुख्य मंच के प्रमुख आकर्षण हास्य व्यंग्य के कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे होंगे। वे अपनी कविताओं से लोगों को गुदगुदाएगें। साथ ही गरिमा दिवाकर की टीम और आरती बारले की टीम द्वारा लोक कला मंच की प्रस्तुति से छत्तीसगढ़ संस्कृति की झांकी लोकगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। सांस्कृतिक मंच में दोपहर 3 से 7 बजे तक छग के प्रसिद्ध कलाकार सुखदेव बंजारे पंथी नृत्य करेंगें। कु. रितिका सिकट छत्तीसगढी रिमिक्स का मनमोहक प्रदर्शन अपनी कला के माध्यम से करेंगी। अजय करमोकर संगीत से समा बांधेगें। महेंद्र सिंह चौहान पंडवानी गायन से दर्शकों को महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को बताएगें। भुनेश्वरी की टीम मानस गायन से भक्तिमय माहौल बनाएगी। इनके अलावा दुर्गा रानी जायसवाल लोक कला मंच, रंजमत बाई कंवर, मुकेश कुमार नेताम मांदरी नृत्य, अर्जुन चेलक मंगल भजन, जगराता ग्रुप, नारद चक्रधारी, भगवंतीन कुर्रे सांस्कृतिक मंच पर झमाझम प्रस्तुति देंगें।

ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 47 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। ऑनलाइन शेयर मार्केट में पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 47 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी जगदीश मेहता 61 वर्ष कुबेर अपार्टमेंट शंकरनगर का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर 76268-12171, 78980-35360 से वॉट्सअप मैसेज आया और ऑनलाइन शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एप डाउनलोड करवा कर 47 लाख रुपए अपने खाता में जमा करवा लिया। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 52 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 59 लाख 52 हजार 900 रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रवीण चंद पारख 40 वर्ष कुंदन पैलेस बैरनबाजार का रहने वाला है। प्राथ्र्थी ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी मोहम्मद अलताफ ने आरंग स्थित दूसरे की जमीन का फर्जी इकरारनामा तैयार कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री करने का सौदा कर कुल 59 लाख 52 हजार 900 रुपए ऐंठ लिया। जब प्रार्थी को ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

लाखों की डकैती मामले में दस गिरफ्तार, पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड

रायपुर । आरएनएस

राजधानी के शंकर नगर खम्हारडीह में 11 फरवरी को हुए 66 लाखों रूपये की डकैती के मामले को पुलिस ले सुलझा लिया है। डकैती का मुख्य आरोपी पीडि़त का पड़ासी ही निकला जा कि बीएसएफ का पूर्व सूबेदार है। जिसने अपने साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से डकैती को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड पड़ोसी सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया है।

बता दे कि थाना खम्हारडीह क्षेत्र के अनुपम नगर में मकान नंबर डी-14 में किराये के मकान में अपनी बहन प्रेमा वेलू व रंजनी वेलू के साथ रहने वाले मनोहरण वेलू के घर पर दिनांक 11.02.2025 को दोपहर लगभग 02:30 से 03:20 बजे के मध्य दो व्यक्ति फ ौजी की वर्दी में आये जो रूमाल से मुंह को ढके थे और बोले आपने कोई कम्प्लेन किया है क्या उसी का बातचीत करने आये है। बातचीत के दौरान बाहर से घर अंदर एक अन्य व्यक्ति जो डार्क नीला रंग का पैंट पहना था रूमाल से मुंह को ढका था वह अंदर आया उसी दौरान एक वर्दी वाला व्यक्ति एवं एक डार्क नीला रंग का पैंट पहना व्यक्ति मनोहरण के साथ धक्का मुक्की कर उसके हाथ और पैर को पकडक़र जमीन में गिरा दिया और दूसरा वर्दी पहना व्यक्ति घर अंदर से सफेद रंग का टावेल लाकर उसके पैर को बांध दिया और बिना वर्दी वाला व्यक्ति अपने साथ लाये सफेद रंग के टेप से उसके हाथ को बांध दिया और मुंह में टेप लगा दिया फिर वर्दी पहने एक व्यक्ति अपने पास रखें पिस्टल को निकाल कर आवाज करोगे तो जान से मार दूंगा बोला और एक आदमी उसके पास वहीं खड़ा हो गया। फिर बाहर से रूमाल से मुंह बांधे एक पुरूष व पीले रंग का सलवार पहनी महिला रूमाल से मुंह ढकी थी अंदर आये और प्रेमा व रंजनी के रूम में चले गये कुछ देर बाद पांचो व्यक्ति घर से चले गये बाहर से दरवाजे की कुण्डी लगा दिये बाहर गाडी की चालू होने की आवाज सुनाई दिया जिससे प्रार्थी को उनके चले जाने का आभास होने पर वह अपने हाथ में बंधे टेप को किसी तरह निकाला फिर मुंह में लगे टेप व पैर में बंधे टावेल को खोला फिर बगल के रूम रंजनी के कमरे में जाकर उसके मुंह व हाथ में लगे टेप को खोला तब रंजनी बताई कि एक व्यक्ति द्वारा पिस्टल से जान से मारने की धमकी देकर मुंह व हाथ में टेप लगाकर उसके बांये भुजा में एक बार इंजेक्शन लगाया है और बेड अंदर से एक गुलाबी रंग के बैग में रखें 60 लाख रूपये एवं काले रंग के बैग में रखें 05 लाख रूपये को ले गया। बहन प्रेमा बताई कि एक व्यक्ति द्वारा मुंह दबाकर जान से मार दूंगा कहकर पिस्टल दिखाकर उसके दाहिना भुजा में दो बार इंजेक्शन लगाया एवं महिला द्वारा उसके गले में पहने सोने की चैन को छीन लिये एवं आलमारी खोलकर उसमें रखें दो नग सोने के चैन व 25000 रूपये नगद निकाल लिये तथा उसका एवं रंजनी का कुल 03 नग मोबाईल फोन को भी लूट कर गये। चार अज्ञात नकाबपोश पुरूष एवं एक अज्ञात नकाबपोश महिला द्वारा प्रार्थी के घर अंदर प्रवेश कर प्रार्थी व उसकी दोनों बहनों को पिस्टल से जान से मारने की धमकी देकर कुल 65,25,000 नगदी रकम, तीन नग सोने की चैन करीबन 06 तोला व तीन नग मोबाईल फ ोन जुमला कीमती लगभग 66,00,000 रूपये को लूट कर ले गये। जिसकी रिपोर्ट मनोहरण ने खम्हारडीह थाने में दर्ज कराई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में धारा 310(2), 331(5), 123, 351(3) बी.एन.एस. 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए क्राईम ब्रांच की 10 विशेष टीमों का गठन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल निरीक्षण करने के उपरांत प्रार्थी एवं उसकी बहन प्रेमा व रंजनी से घटना के संबंध में तकनीकी रूप से विस्तृत पूछताछ करने के साथ तत्काल थानों एवं सरहदी जिलों में नाकेबंदी लगायी गयी, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम एव क्राईम ब्रांच की टेक्निकल टीम को साक्ष्य जुटाने हेतु लगाया गया। साथ ही आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किया गया। क्राईम ब्रांच की टेक्निकल टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का बारिकी से अवलोकन करने पर पाया गया कि एक महिला जो पीले रंग का सलवार शूट पहनी है व मुंह में स्कार्फ बांधी है एवं 04 पुरूष जिसमें से 02 लोग काम्बेट ड्रेस पहने है एवं 02 लोग सामान्य पहनावा धारण किये है, जो एक सफेद रंग की बिना नंबर की रिज्ड कार से आकर घटना स्थल पर रूके एवं बारी-बारी से प्रार्थी के घर अंदर प्रवेश किये एवं घटना को अंजाम देकर फरार हो गये। उक्त घटना के बाद से संदेही वाहन के आने-जाने वाले मार्गो में लगे हजारों सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही वाहन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं थी। प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। अलग - अलग 10 टीमों द्वारा सी.सी. टी.व्ही. फुटेज को खंगालते हुये आरोपियों के भागने की दिशा सुनिश्चित की गई, इसी दौरान मुखबीर द्वारा पुलिस टीम को सूचना दी गई कि आरोपियों के हुलिये एवं घटना में प्रयुक्त वाहन से मिलता-जुलता वाहन को देखा गया है। सूचना की तस्दीक करने के बाद समस्त टीमों को उसी दिशा की ओर अग्रेषित किया गया जिसके बाद अमलेश्वर, मोतीपुर, पहंदा, महोदा, परसदा, पाटन, उतई, फुण्डा आदि स्थानों पर टीमों को भेजकर मुखबीर एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किये गये। सी.सी.टी.व्ही. फुटेज को देखने के दौरान यह ज्ञात हुआ कि घटना के बाद एक अल्टो कार आरोपियों द्वारा उपयोग किये गये कार का पायलेटिंग कर रही है, जिसमें संदेही महिला दिखायी दे रहीं है उसके पश्चात् उक्त वाहन का टीम के द्वारा राजनांदगांव तक पीछा करने पर उक्त वाहन के स्वामी की पहचान राहुल त्रिपाठी निवासी मनकी के रूप में किया गया जिसके बाद से ही आरोपियों के दिनचर्या एवं दोस्तों के संबंध में जानकारी एकत्र कर उन पर निगाह रखीं गयी और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार सुनियोजित योजना बनाकर एक साथ राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, नागपुर, बलौदा बाजार एवं रायपुर में दबिश देकर संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जिस पर उन्होंने उक्त घटना को कारित करना स्वीकार करते हुये डकैती की रकम का घटना के बाद सूनसान स्थान में आपस में बांटना बताने के साथ ही डकैती के मोबाईल फोन और घटना के समय पहने हुये कपड़ो को रास्ते में फेंकना बताया है। विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ए.सोम शेखर बी.एस.एफ. से सूबेदार के पद से वर्ष 2011 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है तथा वर्तमान में रियल हेल्प नामक एन.जी.ओ. से जुड़ा है, साथ ही जमीन दलाली का भी कार्य करता है। इसका प्रार्थी के परिवार से घरेलू संबंध था व इसे पैसे रखें होने की जानकारी थी। जिस पर आरोपी ए.सोम शेखर द्वारा पैसे डकैती की योजना बनायी गयी तथा अपने योजना में अपने साथी देवलाल वर्मा जो बिजली मिस्त्री है एवं कमलेश वर्मा जो ड्रायवर है एवं जमीन दलाली का भी कार्य करते है, को शामिल किया। योजना के मुताबिक अपने साथी देवलाल वर्मा एवं कमलेश वर्मा को जमीन खरीददार बताकर प्रार्थी के घर को दिखाया था और उन्हें घर में रखें नगदी रकम एवं रकम रखने के स्थान की जानकारी दी थी तथा अपनी इस योजना में और व्यक्तियों की जरूरत होने कहते हुये अन्य व्यक्तियों को भी शामिल करने कहा। जिस पर देवलाल वर्मा एवं कमलेश वर्मा द्वारा अपने परिचित पुरूषोत्तम देवांगन को योजना के बारे में बताया गया और अन्य आरोपियों अजय ठाकुर, राहुल त्रिपाठी, नेहा त्रिपाठी, नागपुर महाराष्ट्र निवासी शाहिद पठान एवं पिंटू सारवान तथा बिलासपुर निवासी मनुराज मौर्य को योजना के बारे में बताकर अपने साथ शामिल किया गया। योजना के अनुसार घटना कारित के पूर्व पुरूषोत्तम देवांगन द्वारा अजय ठाकुर, राहुल त्रिपाठी एवं नेहा त्रिपाठी को प्रार्थी का मकान पहचान कराया गया उसके पश्चात घटना की तिथि तय करने के बाद बिलासपुर एवं नागपुर से आरोपियों को रायपुर बुलाकर योजना के अनुसार अगले दिन दिनांक 11.02.25 को राहुल त्रिपाठी एवं नेहा त्रिपाठी अपने अल्टो कार से झीठ आये राहुल त्रिपाठी को एवं अल्टो कार को वही पर छोड़ दिये अपने सभी मोबाईल फ ोन को स्वीच ऑफ करके वही रख दिये तथा बिना नंबर की रिज्ड कार में पांचो आरोपी सवार होकर रायपुर आकर उक्त डकैती की घटना को अंजाम दिये। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डकैती की नगदी रकम 59,50,000 (उनसठ लाख पचास हजार रूपये), सोने के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त रिज्ड कार एवं अल्टो कार जुमला कीमती लगभग 70 लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

मामले में पुलिस ने 01. अजय ठाकुर पिता नकुल ठाकुर उम्र 38 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मर्रा, तहसील व थाना पाटन जिला दुर्ग। हाल पता - मकान नंबर 18/ए रिसाली सेक्टर थाना सेक्टर 06 भिलाई जिला दुर्ग। 02. राहुल त्रिपाठी पिता शशिभूषण त्रिपाठी उम्र 43 साल निवासी ग्राम व पोस्ट टाडा बडहलगंज थाना बडहलगंज जिला गोरखपुर (उ.प्र.)। हाल पता - एल आई जी 95 फेस 01 दीनदयाल आवास मनकी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव। 03. नेहा त्रिपाठी पति राहुल त्रिपाठी उम्र 41 साल निवासी ग्राम व पोस्ट टाडा बडहलगंज थाना डहलगंज जिला गोरखपुर (उ.प्र.)। हाल पता - एल आई जी 95 फेस 01 दीनदयाल आवास मनकी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव। 04. देवलाल वर्मा पिता स्व. नरेश कुमार वर्मा उम्र 45 साल निवासी राज वाटिका बी-01 सेमरिया थाना विधानसभा रायपुर। 05. पुरूषोत्तम देवांगन पिता विश्वनाथ देवांगन उम्र 33 साल निवासी टोडोपार चौक आरामील के सामने ग्राम अमेरा थाना पलारी जिला बलौदा बाजार। 06. ए. सोम शेखर पिता स्व. काली प्रसाद उम्र 56 साल निवासी एल.आई.जी. 197 जनता कालोनी सेवा सदन वृद्ध आश्रम के पास गुढियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर। हाल पता - अवंति विहार विजय नगर चौक मकान नंबर/ प्लाट नंबर 1284 थाना खम्हारडीह रायपुर। 07. शाहिद पठान पिता ताज पठान उम्र 36 साल निवासी मोहम्मद अली चौक भल्दरपुरा थाना गणेश पेट नागपुर महाराष्ट्र। हाल पता - कलमना बेले नगर पेट्रोल पम्प के पीछे थाना कलमना महाराष्ट्र। 08. पिंटू सारवान पिता आत्मा राम उम्र 23 साल निवासी देवकर बस स्टैंड के पास थाना देवकर जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। हाल पता - पेट्रोल पम्प के पीछे बेले नगर थाना कलमना महाराष्ट्र। 09. मनुराज मौर्य पिता देस राज मौर्य उम्र - 31 साल निवासी उपासना ऑटो पाटर्स, मौया काम्प्लेक्स, गुरुनानक चौक तोरवा थाना तोरवा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। 10. कमलेश वर्मा पिता स्व. अशोक वर्मा उम्र 31 साल निवासी ग्राम बडगांव थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। हाल पता - कबीर नगर तिरंगा चौक थाना कबीर नगर रायपुर को गिरफ्तार किया है।

कारोबारी से किराया एग्रीमेंट बनाकर 6 लाख का धोखाधड़ी

कोरबा । आरएनएस

रायपुर में एक कारोबारी से धोखाधड़ी हो गई। कोरबा के ठेकेदार ने इलाईट प्राइवेट कम्पनी के संचालक से चार ट्रक को 2 लाख 50 हजार रूपए प्रतिमाह किराया एग्रीमेंट बनाकर 6 लाख का चेक देकर धोखाधड़ी की है। पैसा मांगने पर गाड़ी वापस नहीं करने की धमकी भी दी।

रायपुर अंतर्गत 70 जी.टी. केपीटल होम सडडू निवासी क्षीर सागर ने मोवा थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह निसान इलाईट प्रा.लि. का डायरेक्टर है। 6 माह पूर्व उसको कोरबा के सागर का फोन आया था। जिसमें उसने कम्पनी से चार ट्रक को 2,50,000/- रूपये प्रतिमाह की दर से एग्रीमेन्ट कर प्लांट एवं माईन्स, अडानी पावर कठली रायगढ एवं डीबी पावर, कुसमुण्डा माईन्स मे लगाने का झांसा देकर चेक से एडवांस पेमेंट कर अपने बंधन बैंक खाता शाखा कोरबा के नाम से 4 और 5 लाख का चेक दिया था। जिसे लेकर क्षीर सागर ने कम्पनी से अपने चार ट्रक को सागर बजाज के पास कोरबा रवाना कर दिया। जहां ट्रकों से कोल माइंस और प्लांट में चलवाया जा रहा था। क्षिर सागर ने जब सागर के दिए चेक को बैंक में लगाया तो वह बैंक में अनादरित हो गया। इस पर कम्पनी के सुपरवाइजर चितेश्वर ने सागर को पैसा वापस करने के लिए फोन करने पर सागर ने चितरेश्वर को चेक फाड़ कर वीडियो बनाने को कहा और गाड़ी वापस न करने के लिए धमकी दी। सागर ने क्षिर सागर को धोखाधड़ी करने की आशय से विश्वास जीतकर मुनाफा कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी कर कम्पनी को 20 लाख रूपए का नुकसान पुहंचाया। कम्पनी डायरेक्टर ने इसकी शिकायत शाम मोवा थाना में दर्ज कराया। पुलिस ने कोरबा निवासी सागर के खिलाफ 318-4, 316-5 का प्रकरण दर्ज किया है।

प्राइवेट स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी

❒ **ग्रामीणों क्षेत्रों में अध्ययनरत एसटी एसी वर्ग के स्कूली बच्चों को अपने स्कूल में जमा करना होगा आवेदन**

सारंगढ़ बिलाईगढ़

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के उत्कर्ष योजना अंतर्गत ग्रामीणों क्षेत्रों में अध्ययनरत एसटी एसी वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए है जो रायपुर बिलासपुर जैसे बड़े शहर के प्राइवेट स्कूलों में छठवीं से बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत वर्ष 2025-26 में कक्षा 6वी में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अपने स्कूल में विद्यार्थियों को 14 फरवरी 2025 तक आवेदन जमा करना होगा। जिला स्तर पर 23 मार्च 2025 रविवार को लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगा। बरमकेला क्षेत्र के पीएमश्री स्कूल केंदवाही बार से अब तक लगभग 140 बच्चे रायपुर के राजकुमार कॉलेज जैसे स्कूलों में इस योजना के तहत पढ़ाई कर रहे हैं।

प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्यता- इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम और अनिवार्य योग्यता में राज्य अंतर्गत छात्र, छात्रा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन स्वीकार्य योग्य होगा। विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् हो। कक्षा 4थी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। पिता या पालक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों से किया जायेगा।

यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर रौब झाड़ने वाला फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार

बलौदाबाजार-भाटापारा । आरएनएस

जिले की सोनाखान चौकी पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहन लोगों के समक्ष रौब झाडऩे वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन फर्जी तरीके से ग्राम महकम में घूमते हुए पकड़ा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी पुनीराम सागर निवासी वीर नारायणपुर भुसडीपाली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बुधवार को सुबह 9 बजे वह घर के किसी काम से ग्राम महकम गया था, जहां पर एक घर में पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति के कंधे पर दो-दो स्टार लगा था तथा उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच लगा हुआ था। पुलिस की वर्दी पहने उक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं को उत्तरप्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी बताते हुए कोई काम होगा तो मुझसे कहना कह रहा था। जिस पर संदेह होने पर इसकी सूचना सोनाखान चौकी में दी गई। सूचना पर चौकी सोनाखान थाना कसडोल में आरोपी के खिलाफ धारा 204 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में चौकी सोनाखान पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम रोशन गौतम उम्र 29 वर्ष निवासी कांशीराम कॉलोनी मकान नंबर 59/12 चिनहट थाना चिनहट जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश का होना बताया। और पुलिस विभाग में नौकरी नहीं करना एवं उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी खरीद कर पहनकर ग्राम महकम में लोगों के समक्ष स्वयं को पुलिस वाला हूं बताना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ना होते हुए भी पुलिस की वर्दी पहनकर ग्राम महकम में घूमते फर्जी तरीक़े से घूमते हुए पाया गया। आरोपी से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी कपड़ा, जूता, बेल्ट टोपी आदि जप्त किया गया है। मामले में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

राजिम कुंभ के सांस्कृतिक मंच पर लोक कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति

राजिम । आरएनएस

12 फरवरी से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हो गया है। कुंभ मेला के सांस्कृतिक मंच में प्रतिदिन कलाकारों की शानदार प्रस्तुति होगी। मेला के प्रथम दिवस सांस्कृतिक मंच में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को सहेजते हुए कलाकारों द्वारा एक से बढक़र एक सुवा, कर्मा, ददरिया, मानस प्रसंग राउत नाचा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। नवजोती मानस परिवार भैसमुंडी के द्वारा मानस प्रसंग के द्वारा राम की महिमा को बताया गया। जिसमें कहा गया कि राम नाम ही इस जगत में सत्य है जिसके सुमिरन मात्र से ही मन को शांति मिलती है। अनगिनत कष्टों को भोगते हुए वियोग में रहते हुए भी अपने चंहुओर सुख का प्रकाश जो फैलाए वही है। श्रीराम मनुष्य को हमेशा अपने मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करते हुए शुद्ध भाव रखना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, माया से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में सुमधुर राम भजनो ने दर्शकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम की अगली कड़ी मोहन लाल साहू मगरलोड ने हरी कीर्तन कर जीवन मे भक्ति भजन के महत्व को बताया। श्रीमति भोजबाई ने फाग गीत में होली का माहौल बनाया। शिवराज धीवर ने नाचा के माध्यम से भुईया के गोठ की शानदार प्रस्तुति दी। गरिमा शर्मा की टीम ने पैरी की धार में लोक नृत्य की प्रस्तुति से धुम मचा दिया। कुवर दास डहरिया की टीम ने पंथी संत-पंथ भजन से गुरु घासीदास के संदेश को दर्शकों तक बहुत ही सुंदर आवाज में दर्शकों तक पहुंचाया। मीना साहू ने पंडवानी के माध्यम से महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को गायन और अपने सुंदर हाव-भाव के साथ वीर रस में बताया जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

गायिका मैथिली ठाकुर ने बांधा समा

राजिम कुंभ कल्प मेला के पहले दिन सांस्कृतिक मंच पर अंतरराष्ट्रीय गायिका मैथिली ठाकुर के भजन सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार... से की। इसके बाद तुम उठो सिया श्रृंगार करो.... कभी राम बनके, कभी श्याम बनके, मेरे झोपडी के भाग्य.., भारत का बच्चा-बच्चा जय राम बोलेगा...., हम कथा सुनाते.... जैसे एक से बढक़र भजन की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम भक्ति से ओतप्रोत भजन से पूरा माहौल राममय हो गया। उल्लेखनीय है कि मैथिली ठाकुर 2017 में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची जब राइजिंग स्टार के सीजन 01 में भाग लिया। मैथली इस शो की पहली फाइनलिस्ट थी। राजिम कुंभ कल्प के मुख्य मंच पर प्रस्तुति देकर उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। मंच पर कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति महतारी लोक कला मंच के प्रमुख कलाकार चंद्रभूषण वर्मा की टीम ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। खन खन बाजे बैला के घुंघरू और सुन सुन मोर मयारू जैसे छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति दी।